Previous Year Paper

MADHYA PRADESH CJ MAINS 2014

FIRST PART

CONSTITUTION OF INDIA

भारत का संविधान

1.(a) **Describe the Prohibition of discrimination based on sex? Explain meaning, seope and extent of term "citizen" in concern with constitiuion of India?**

लिंग पर आधारित भेदभाव के प्रतिषेध का वर्णन करे? "नागरिक" शब्द के अर्थ, क्षेत्र व विस्तार को भारतीय संविधान की परिधि में स्पष्ट करें?

1(a) **What are the major commitments of the Constitution of India as incorporated in its preamble?**

भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित मुख्य प्रतिबद्धतायें क्या है?

CIVIL PROCEDURE CODE, 1908

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

2.(a) **Weather a defendant can file counter claim against a co–defendant? What procedure should be adopted by the court in case counter claim against a co–defendant is fild?**

क्या एक प्रतिवादी, सह–प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिदावा संस्थित कर सकता है? सह–प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिदावा लाये जाने पर न्यायालय द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये?

2.(b) **What is doctrine of "Res sub judice" as provided in Section 10 of Civil Procedure Code? When can this doctrine be applied, Elucidate?**

"वाद के रोक दिये जाने" का सिद्धांत क्या है? जैसा कि, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 में उपबंधित है? यह सिद्धान्त कब लागू होता है, वर्णन करें?

linkinglaws.com

TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

3.(a) **Explain the law in repect of transfer for benefit of an "Unborn Person".**

किसी "अजन्मे व्यक्ति" के फायदे के लिये किये गये अंतरण से संबधित विधि की व्याख्या कीजिये।

3.(b) Explain the "rule against perpertuity" provided in Section 14. How does if affect an agreement to sell property, in future?
धारा 14 में उपबंधित "शाश्वतता के विरुद्ध नियम" समझाइए। भविष्य में संपत्ति विक्रय के करार को यह किस प्रकार प्रभावित करता है?

INDIAN CONTRACT ACT, 1872
भारतीय संविदा अधिनियम, 1882

4.(a) Define novation, rescissionand alterationof contract? And also describe effect of novaiton, rescissionand alteration of contract?
संविदा के नवीयन, विखण्डन और परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तथा संविदा के नवीनयन, विखण्डन और परिवर्तन के प्रभाव को भी वर्णित करे?

4.(b) What is voidable contract? Describe the distintion between voidable contracts and contingent contracts.
शून्यकरणीय संविदा क्या है? शून्यकरणीय संविदाओं और समाश्रित संविदाओं के बीच अंतर बताइए।

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

5.(a) What do you mean about 'declaratory decree'? Explain the essential conditions for issuing the declraratory decree and its iffects with the help of relevant law.
"घोषणात्मक आज्ञप्ति" से आप क्या समझते है? इससे सुसंगत विधि का वर्णन करते हुए घोषणात्मक डिक्री जारी करने की आवश्यक शर्त तथा इसका प्रभाव बताये।

5.(b) Enumerate cases in which the court may properly execise discretionnot to decree specific performance?
उन दशाअं का वर्णन करें? जिनमें न्यायालय विनिर्दिष्ट पालनकी डिक्री न करने के विवेकाधिकार का उचितया प्रयोग कर सकेगा?

LIMITATION ACT, 1963
परिसीमा अधिनियम, 1963

6.(a) What ar the rules for exclusionof computation of the period of limitation? What is the effect of legal disability on limitaiotn?
मर्यादा अवधि की गणना के लिए अवधि को छोड़ने संबंधी नियम क्या हैं? विधिक अयोग्यता का मर्यादा पर क्या प्रभाव होता है?

MIXED
मिश्रित

7. Write short–notes on:–
1. Subrogation
2. Contract of Indemnity

3. Effect pf {rpsecitopk pf a siot befpre a wrong court on Limitation.

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये–

1. प्रत्यासन
2. क्षतिपूर्ति की संविदा
3. गलत न्यायालय के समक्ष वाद चलाने का समयावधि पर प्रभाव

SECOND PART
M.P. ACCOMODATION CONTROL ACT, 1961
मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1. Write an article in Hindi or English, on any one of the following social topics:
निम्नलिखित सामाजिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:

(i) Female foeticide
कन्या भ्रूण हत्या

(ii) Status of sanitation in India.
भारत में स्वच्छता का स्तर।

2. Write an article in Hindi or English, on any one of the following legal topics:
निम्नलिखित विधिक विषयों में से किसी एक पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लेख लिखिए:

(i) Cuber crimes
साइबर अपराध

(ii) Lawyers' strike/boycott of courts–impact on justice delivery system.
वकीलों की हड़ताल/न्यायालयों का बहिष्कार–न्याय दान व्यवस्था पर समाधात।

3. Summarize the following passage in Hindi or English–
निम्नलिखित अंश का हिन्दी या अंग्रेजी में संक्षिप्तिकरण कीजिए–

The complaint was preferred before the Chief Judicial Magistrate, Rewa alleging that Accused borrowed a sum of Rs. 1,50,000/- from him and issued a cheque for the said sum on 20.06.2021 drawn on Indian Overseas Bank, Rewa branch in discharge of the debt. It is the further case of the complainant that when the cheque was presented for encashment through District Co–operative Bank, branch, Rewa the same was returned by the bankers with the indorsement 'Insufficient funds in the account of the accused'.

The complainant stated to have issued a lawyer's notice on 14.07.2001, which was received by the Accused on 16.07.2001, but yet there was no reply from the Accused. Based on the above averments alleged in the complaint, the case tried by the learned Chief Judicail Magistrate.

The complainant was exmined as PW.1 and Exhibits P–1 to P–6 were marked. None was examined on the side of the Accused. In the questioning of the Accused made under Section 313 of Cr.P.C. the Accused took the stand that his son took the cheque from him and that if at all anything was to be recovered, it had to be made from the son of the Accused, since the Accused had not borrowed any money

The learned Chief Judiacal Magistrate after considering the oral and documentary evidence led on behalf of the complainant, held that the complainant was making a prevarication statement as regards the issuance of the cheque, that he was not even aware of the date when the amount was said to have been borrowed by the Accused, that there was material alteration in theinstrument and, therefore the complainant failed to establish a case under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. ConSequently, the learned Chief Jidial Magistrate found the Accused not guily and acquitted him.

The trial Court had noted certain vital defects in the case of the complainant. Such defects noted by the learned Chief Judicial magistrate ware as under:

(a) Though the complainant as PW–1 deposed that the accused received the money at his house also stated that he did not remember the date when the said sum of Rs. 1,50,000/- was paid to him.

(b) As regard the source for advancing the sum of Rs. 1,50,000/- the complainant claimed that the same was from and out of th sale consideration of his share in the family property. Apart form a sum of Rs.50,000/-, which he aviled by way of loan from the co–operative society of the college where he was employed. Though the complainant stated befor the Court that he would be in a position to produce the documents in support of the said stand, it was noted that no documents ware placed before the Court.

(c) In the cource of cross–examination, the complainant stated that the cheque was signed on the date when he paid the sum of Rs.1,50,000/-.

(d) According to the complainant, the cheque was in the handwritiong of the accused himself and the very next moment he made a contradictory statement that the cheque was not in the handwriting of the accused and that he (Complainant) wrote the same.

(e) The complainant also stated that the amount in words was written by him.

(f) The trial Court has also noted that it was not thrt case of the complainant that the writing in the cheque and filling up of the figures were with the consent of the accused.

In the light of above evidence, which was lacking in many material particulars, apart form the contradictions therein, the trial Court held that the Accused was not guilty of the alleged offence under Section 138 of the Negotiable Instruments Act and acquitted him.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा के समक्ष यह अभिकथन करते हुए परिवाद प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने उससे 1,50,000/- रुपये की राशि उधार ली थी और 20 जून,2001 को उक्त राशि का इंडियन ओवरसीज बैंक रीवा शाखा के नाम लिख गया एक चैक ऋण के उन्मोचन के लि जारी किया गया था। परिवादी का आगे यह पक्षज्ञकथन है कि जब चैक को जिला सहकारी बैंक, रीवा शाखा के माध्यम से भुनाने के लि प्रसतुत किया गया तो बैंक द्वारा इसे "अभियुक्त के खाते में अपर्यापत निधि" पृष्ठांकन के साथ लौटा दिया गया।

परिवादी ने कथित रूप से तारीख 14 जुलाई, 2001 को वकील द्वारा एक सूचना जारी की, जो अभियुत्क् द्वारा तारीख 16 जुलाई, 2001 को प्राप्त की गई किन्तु फिर भी अभियुक्त से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। परिवाद में अभिकथित उपरोक्त प्राख्यानों के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा माले का विचारण किया गया।

इस मामले में परिवादी की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई और प्रदर्श पी–1 से पी–6 चिन्हित किए गए। अभियुक्त की ओर से किसी व्यक्ति की परीखा नहीं कराई गई। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त से किए गए प्रश्नों मेंउ सने यह आधार लियाकि उसके पुत्र नेउससे चैक ले लियाथा आर यदि कोई वयूली की जानी है तो वह अभियुक्त के पुत्र से की जानी चाहिये चूंकि अभियुक्त ने कोई धन उधान नहीं लिया था।

विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए मौखिक और दसतावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि परीवादी चैक जारी करने के विषय में एक टाल–मटोल कथन कर रहा है ओर उसे वह तारीख तक ज्ञात नहीं है अभियुक्त द्वारा कथित रूप से रकम उधार ली गई थी तथा लिखत में तात्विक परिवर्तत किया गया है, इसलिये परिवादी पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन मामला सिद्ध करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप, विद्वान मुख्य न्यायाक मजिस्ट्रेट नपे अभियुक्तकों दोषी नहीं पाया और उसे दोषमुक्त कर दिया।

विचारण न्यायालय ने परिवादी के पक्षकथन में कतिपय महत्वपूर्ण कमिया पाई थीं। विद्वान मुख्य न्यायाक मजिस्ट्रेट द्वारा पाइर गई ये कमियां निम्नलिखित हैं:–

(क) यद्यपि परिवादी ने अभि.सा1 के रूप में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्ति ने धन उसके महान पर प्राप्त किया था, किन्तु यह भी कथन किया है कि उसे वह तारीख स्मरण नहीं है जब 1,50,000/- रुपये की उक्त राशि उसे संदत्त की गई थी।

(ख) उधार देने के लिए 1,50,000/– रुपये की राशि के स्त्रोत के विषय में परिवादी ने यह दावा कि 50,000/– रुपये की राशि जो उसने महाविद्यालय, जहां वह नियोजित है की को–ओपरेटिव सोसाइटी से ऋण के रूप में लिये थे, शेष परिवारिक संपत्ति से उसके हिस्से के विक्रय प्रतिफल मे से मिली थी। यद्यपि परिवादी ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वह उक्त आधार के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करे देगा, किन्तु यह पाया गया कि न्यायालय के समक्ष कोइ दस्तावेज प्रस्तु नहीं किया गया।

(ग) **परिवादी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया कि चैक पर हसताक्षर उस तारीख को किए गए थे जब संदाय किया गया था, फिर भी उसने यह कथन किया कि उसे वह तारीख ज्ञान नही है जब उसने 1,50,000/- रुपये संदत्त किये थे।**

(घ) **परिवादी के अनुसार चैक स्वयं अभियुक्त के हस्तलेख में लिखा गया था और अगले ही क्षण उसने एक विरोधाभासी कथन किया कि चैक अभियुक्त के हस्तेलेख में नहीं था और चैक उसने (परिवादी) लिखा था।**

(ङ) **परिवादी ने यह भी कथन किया किह रकम शब्दों में उसके द्वारा लिखी गई थी।**

(च) **विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि परिवादी का यह पक्षकथन नहीं है कि चेक लिखने और अंक भरने का काम अभियुक्त की सम्मति से किया गया था।**

उपरोक्त साक्ष्य, जिसमें विरोधाभासों के अतिरिक्त बहुत सारी तात्विक कमियां हैं, को ध्यान में रखते हुये विचारणन्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया की अभियुक्त पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन उसके विरुद्ध अभिकथित अपराध का दोषी नही है और उसे दोषमुक्त कर दिया।

4. Translate the fllowing 15 Sentences into Egnlish:–

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए:–

(1) जैसे पक्ष केवल एक पंख से नही उड़ सकता, महिलाओं को पीछे छोड़कर देश भी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता।

(2) **भारतीय महिलाओं ने कष्ट झेले हैं और आज भी भेद–भाव के कष्ट को मौन रहकर सह रही है।**

(3) **आज तक उनका स्व–बलिदान ओर परित्याग उनकी कुलीनता है।**

(4) **महात्मा गांधी का दृष्टिकोण हमेशा महिलाओं के अधाकर के संबंध में गैर समझौता पूर्ण रहा है।**

(5) **वे हमेशा जोर देते थे कि पुत्र और पुत्रियों में समानता का व्यावहार होना चाहिये।**

(6) **सभी प्रकार का भेद–भाव जो लिंग के आधार पर हो वे मूलभूत स्वतंत्रता और मानव अधिकारों का उल्लंघन है।**

(7) **अभियुक्त ने चोरी करने के आशय से दिनांक – 26.01.2015 को रात्रि दो बजे फरियादी के घर में प्रवेश किया।**

(8) **इसके बाद उसने फरियादी के शयन कक्ष में प्रवेश किया।**

(9) **उस समय फरियादी सोने की चैन 15 ग्राम वजन की 20 हजार रूपये कीमत की चुरा ली**

(10) **अभियुक्त ने सोने की चैन 15 ग्राम वजन की 20 हजार रुपये कीमत की चुरा ली।**

(11) **पन्द्रह दिन पश्चात अभियुक्त एक सोने की चैन बेचतु हुए पकड़ा गया**

(12) **तब फरियाद ने एफ.आई.आर. पंजीकृत कराई थी।**

(13) **क्योंकि उसे असहाय तक नहीं हो पाया था कि चैन चुरा जी गई जब वह सो रही थी।**

(14) **अभियुक्त् के विरुद्ध सोने की चैन की जप्ती सिद्ध नहीं हुयी थी।**

(15) **इसलिये न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।**

5. Translate the fllowing 15 Sentences into Hindi:–

निम्नलिखित 15 वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए:–

1. When I first began the reminiscences that have gone into this book, I was uncertain whichof may memories were worth narrating.
2. My childhood is precious to me, but would it be of any relevance t anyone else?
3. Was it worth the reader's while, I wondered, to know of the trials and triumphs of a small–town boy?
4. Of the straitened circumstances of my school days and the odd jobs I worked to pay muy school fees?
5. Of my frustrated attempt to become a pilot in the Indian Air Force?
6. Or how I become a rocket engineer instead of the civil servant my father dreamed I would be?
7. Why would any of this be of interest to the general reder, I wondered.
8. Finally, I was convinced that my story was relevant, if not for anything else but because it tells the story of an individual destiny.
9. That destiny canno be seen in isolation from the social matrix in which it is embedded.
10. I decided to describe the individuals who had a profound influence on my life.
11. This story is not just an account of my personal triumphs and tribulations.
12. It tells of the successes and setbacks of the scientific establishment in modern India.
13. It is a tribute t the unflagging enthusiasm and capabilities of my young colleagues.
14. Wer all are born with a divine fire in us.
15. Our effort should be to give wings to this fire.

THIRD PART
M.P. ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961
मध्यप्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961

1.(a) **What is composite tenancy? Describe the legal necessities for a decree of eviction from an accommodation given on rent for the composite purpose on the ground of bona fide need only for non residential purpose.**
समष्टि (संयुक्त) किरायेदारी क्या है? केवल गैर–निवासीय प्रयोजन के लिए सद्भावी आवश्यकता के आधार पर समष्टि प्रयोजन से किराये पर दिये गए स्थान से निष्कासन की डिक्री के लिए विधिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

1.(b) **Discuss, whether denial of the land–lord's title in the written statement can provide ground ror eviction of tenant? Whether question of title is decided finally in eviction suit? Discuss briefly with relevant law.**

linkinglaws.com

क्या किराये द्वारा लिखित कथन में भूमि स्वामी के स्वत्व को अस्वीकार करना निष्कासन का अधार होगा? वर्णित करें। क्या निष्कासन के बाद में स्वत्व का प्रश्न अंतिमत: निनिश्चित होता है? संक्षिप्त रूप से संबधित विधि केसाथ विवेचित करें।

M.P. LAND REVENUE CODE, 1959
मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

2.(a) What are the rights and liabilities of Government lessee?
सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व क्याह है? एक सरकारी पट्टेदार, सेवा भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है?

2.(b) Decribe the procedure of preparation of a Nistar Patrak. Explain the distinction between the Nistar Patrak and the Wajib–ul-arz?
निस्तार–पत्रक तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। निस्तार–पत्रक और वाजिब–उल–अर्ज में भेद समझाइए।

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

3.(a) How can a party impeach the credit of witness in following circumstances?
(i) Its own witness and
(ii) A witness produced by the opposite party.
साक्षियों की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप निमन परिस्थितियों में कैसे किहया जा सकता है?
(1) पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से, और
(2) प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्षी से

3.(b) What does mean by secondary evidence? In which cases, Secondary evidence relating to documents can be given ?
द्वितीयक साक्ष्य से क्या अभिप्राय है? किन मामलों में दस्तावेजों से संबंधित द्वितीयक साक्ष्य दी जा सकती है?

INDIAN PENAL CODE, 1861
भारतीय दण्ड संहिता, 1861

linkinglaws.com

4. (a) Describe the offences relation to "trafficking of person" and exploitation of a "trafficked person"?
"व्यक्ति के दुव्र्यापार" से संबंधित अपराध एवं ऐसे व्यक्ति जिसका दुव्यापारकिया गया है, उसके साथ किये गये शोषण को समझाइये?

4. (b) What is criminal trespass? Whether the offence of criminal trespass can be committed with respect to a movable property?

आपराधिक अतिचार क्या है? क्या चल संपत्ति के संबंधमें आपराधिक अतिचार का अपराध कारित किया जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइए।

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

5. (a) How to execise the power of arrest? Explain duty of Judicial Mgistrate in exercise of power under Section 167 Cr.P.C.?

गिरफ्तारी की शक्तियों का प्रयोग कैसे किया जाये? धारा 167 दण्ड प्रक्रिया संहित के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के कर्त्तव्य स्पष्ट करें?

5. (b) What is joinder of charges? What persons can be charged jointly? Explain.

आरोपों का संयोजन क्या है? किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है? समझाइए।

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

6. Which Court has territorial Jurisdiction to entertain complaint of dis–honour of cheque? Explain with reference to last law.

चैक अनादर का परिवाद ग्रहण करने का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार किस न्यायलाय को है? नवीनतम विधि के संदर्भ में स्पष्ट करें?

MIXED
मिश्रित

7. Write Short–notes on:–

(A) Mens rea

(B) Investigation

(C) Tender of pardon

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये:–

(अ) आपराधिक मन:स्थिति

(B) अन्वेषण

(C) क्षमा दान

linkinglaws.com

FORUTH PART
SETTLEMENT OF ISSUES
विवाद्यकों का स्थिरीकरण

Q.1 Settle the issues on the basis of the pleadings given here under –

PLAINTIFF'S PLEADINGS :- Plaintiff 'A' filed a suit against defendants 'B', 'C' & 'D' for possession with pleadings that the suit land Survey No. 67/1, area 2.47 acres situated at Village veerpura Tahsil and District Rajgarh (M.P.) belongs to 'A' Who is the bhumiswami of that land. 'B' is the real brother of plaintiff. During 1997-98 'A' had given the suit land to the defendant for cultivation only for one year. In 1999 when 'A; demanded his possession back the defendant 'B' refused and filed an application under section 190/110 of M.P. Land Revenue code for mutation of the land in his favour. Initially the plaintiff appeared in the proceeding before Tahsildar and filed his objection but later on he was told by Tahsildar that the proceedings have been closed. The plaintiff later on came to know that the suit land was mutated by Tahsildar in favour of 'B'. 'A' then filed an appeal before S.D.O. which was dismissed on 04.09.2002 being time barred. The plaintiff was thus forced to file the suit for restoration of possession on the basis of the title. During pendency of suit the plaintiff came to know that 'B' has sold out the suit land to defendant 'C' & 'D' on 15.11.2002 and so the plaintiff made them the party in the suit and also prayed for a relief of cancellation of sale deed.

WRITTEN STATEMENT :- The defendants filed a joint written statement and denied the plaint averments. According to them, the plaintiff had given the suit land to the defendant 'B' on shikmi in 1995 and since then 'B' has been in possession till 2002, the date of sale deed. A valid order was passed by Tahsildar in favour of defendant no.1 holding that 'B' has become occupancy tenant and thereafter he had become Bhumiswani by operation of law. The suit property has been validly sold by defendant 'B' to defendants no. 2 to 3 ('C' & 'D'). The plaintiff has not sought the relief of declaration and thus his suit is not maintainable. The defendants 'C' and 'D' are bonafide purchasers for the price. It has been prayed that the suit be dismissed. A plea of limitation has also been taken in the written statement that the suit of plaintiff is time barred.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये ।

वादी के अभिवचन – वादी 'ए' ने प्रतिवादी 'बी', 'सी' और 'डी' के विरूद्ध कब्जा हेतु वाद इन अभिवचनों के साथ प्रस्तुत किया कि भूमि सर्वे नंबर 67/1 क्षेत्रफल 2.47 एकड़ स्थित ग्राम वीरपुरा तहसील व जिला राजगढ़ वादी की है जो कि इस भूमि का भूमि स्वामी है। 'बी' वादी का सगा भाई है। सन् 1997-98 में वादी ने वादग्रस्त भूमि एक वर्ष के लिए प्रतिवादी को खेती करने के लिए दे दी थी। सन् 1999 में जब वादी ने कब्जा वापस मांगा तो प्रतिवादी 'बी' ने इंकार किया और भूमि का नामांतरण अपने पक्ष में कराने हेतु धारा 190/110 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर दिया। वादी आरंभ में तहसीलदार के समक्ष इस कार्यवाही में उपस्थित हुआ और उसने अपना आपत्ति पत्र भी प्रस्तुत किया लेकिन बाद में तहसीलदार द्वारा उसे यह बताया गया कि कार्यवाही बंद कर दी गयी है। बाद में वादी को ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि तहसीलदार द्वारा 'बी' के पक्ष में नामांतरित कर दी गयी। वादी ने तब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 4.9.2002 को अवधि बाधित होने से निरस्त कर दी गयी। वादी इस प्रकार स्वत्व के आधार पर कब्जा

की पुनप्ति हेतु वाद प्रस्तुत करने को विवश हुआ। वाद के प्रचलन के दौरान वादी को यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 15.11.2002 को प्रतिवादी 'बी' ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी 'सी' और 'डी' के पक्ष में विक्रय कर दी और तब वादी ने उन्हें भी प्रकरण में पक्षकार बनाया और विक्रय पत्र को निरस्त कराने की सहायता की भी प्रार्थना की।

प्रतिवादी के अभिवचन – प्रतिवादीगण ने संयुक्त लिखित कथन प्रस्तुत किया और वादी के अभिकथनों को अस्वीकार किया। उनके अनुसार वादी ने सन् 1995 में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी 'बी' को सिकमी पर दे दी थी और तब से 'बी' इस भूमि पर विक्रय दिनांक सन् 2002 तक काबिज रहा। तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी 'बी' को मौरूषी कृषक और बाद में विधि के प्रवर्तन अनुसार भूमि स्वामी होना ठहराते हुए प्रतिवादी नं.1 के पक्ष में वैध आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी 'बी' द्वारा प्रतिवादी 'सी' और 'डी' के पक्ष में वैध रूप से विक्रय पत्र निष्पादित कर भूमि का विक्रय किया गया है। वादी ने स्वत्व की सहायता की मांग नहीं की है अतः उसका वाद पोषणीय नहीं है। प्रतिवादी 'सी' और 'डी' इस भूमि के मूल्य के लिए सद्भावी क्रेता हैं। यह प्रार्थना की गयी है कि वाद निरस्त किया जावे। लिखित कथन में अवधि संबंधी अभिवाक् किया गया है कि वादी का वाद समय बाधित है।

FRAMING OF CHARGES
आरोपों की विरचना

Q.2 Frame a charge/charges on the basis of allegations given here 10under.

PROSECUTION CASE / ALLEGATIONS –

___As per case of prosecution on 01.01.2015 at about 5 O'clock in the evening, 'A' and his father 'B' were coming from agricultural land to their house by bullock cart. On reaching from approach road to main road 'H', both stepped down from the bullock cart and while they were crossing the road for drinking water, the alleged offending bus bearing registration no. C-1, driven by the accused 'F' in rash and negligent manner came there from wrong side, dashed 'B'. Resultantly 'B' sustained fatal injuries and succumbed to injuries on the spot. His son 'A' lodged FIR against driver 'F' at police station 'G'.

निम्नलिखित अभिकथनों के आधार पर आरोप विरचित कीजिये।

अभियोजन का प्रकरण/अभिकथन -

अभियोजन प्रकरण के अनुसार दिनांक 01.01.2015 को शाम लगभग 5 बजे, 'ए' और उसका पिता 'बी' अपने खेत से घर बैलगाड़ी से वापिस आ रहे थे। जब वे पगडंडी से मुख्य मार्ग 'एच' पर आये, दोनों बैलगाड़ी से उतरे और जब वे पानी पीने के लिए रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी अभिकथित वाहन बस जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 'सी-1' था, जिसे ड्रायवर 'एफ' उतावलेपन व उपेक्षा से गलत दिशा से चलाकर आते हये, 'बी' को टक्कर मार दी। जिसके परिणामस्वरूप 'बी' को घातक उपहति कारित हुई और घटना स्थल पर ही उसकी मृत्यु चोटों के कारण हो गई। उसके पुत्र 'ए' ने पुलिस थाना 'जी' में अभियुक्त ड्रायवर 'एफ' के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। ,

: www.linkinglaws.com
: Support@linkinglaws.com
: Jodhpur
Linking Laws
Linking LawsTM©Tansukh Sir
7737746465
Tansukh Paliwal (Linking Sir)
SUBSCRIBE

Q.3 **Write a judgment on the basis of pleadings and evidence given here under after framing necessary issues and analyzing the evidence, keeping in mind the provisions of relevant Law / Acts :**

Plaintiff's Pleadings:- Plaintiff 'A' filed a suit against defendant 'B' for recovery of principal amount Rs. 1.60 Lac (One Lac Sixty Thousands) and interest @ 02 rupees percent per month. Plaintiff pleaded that on 03.01.2005 defendant 'B' came to residence of plaintiff 'A' with 'C' and requested for loan to meet out his urgent domestic expenses. 'A', 'C' and 'D' were neighbours and resided in town 'E'. At the guarantee of 'C' the plaintiff lent aforesaid loan to the defendant. The defendant executed promissory note at the residence of plaintiff in the presence of 'C' and 'D'. But according to promise defendant did not return the borrowed amount despite repeated oral demands. Then plaintiff sent a show-cause notice by registered post on 30.07.2007 which was received by defendant. In the response, defendant mentioned in his reply that neither he received any amount nor executed any promissory note as stated in the notice. After receiving reply, plaintiff came to conclusion that defendant was not willing to pay the due amount. Then plaintiff filed Civil Suit for recovery of total amount with interest before the court of Civil Judge Class-II, situated in town 'E'.

Defendant's Pleadings :- The defendant 'B' filed written statement, therein it has been pleaded that neither he received amount nor executed any promissory note as pleaded in the plaint. Defendant specifically pleaded that so called 'C' witness of promissory note entered into the conspiracy with his brother 'F' and prepared a fake promissory note in collusion with his close relative plaintiff 'A'. This fraudulent exercise had been done by aforesaid persons with ulterior motive. Because in the year of 2004 a Civil Suit was filed by the defendant 'B' against the 'F' for permanent injunction which was decided on 22.10.2009 in favour of present defendant. In that previous Civil Suit 'F' filed an agreement for sale therein 'C' was cited as witness. This agreement of sale was declared as forged document in previous Civil Suit. Therefore to take revenge and teach lesson to the defendant all above persons entered into the conspiracy and created forged promissory note.

Plaintiff's Evidence :- Plaintiff produced three witnesses which are plaintiff himself as PW-1, and witnesses 'C'-(PW-2) and 'D' (PW-3). Plaintiff also filed promissory note (Ex-P1) notice Ex-P2, Postal receipt with acknowledgment (Ex-P3) and (P-4). During the course of recording of evidence it was found that (Ex-P1) is not a promissory note but it was a bond. That's why before taking into consideration in evidence the same was impounded and after due compliance Ex-P1 was admitted in evidence as a bond. All the three witnesses stated in their statements that defendant executed ExP1 on 03.01.2005

linkinglaws.com

at the residence of plaintiff and also taken one lac sixty thousands rupees in cash and also agreed to pay interest @ 02% p.m.

Defendant's Evidence :- Defendant alone appeared as witness as DW 1. He has also filed certified copies of previous Civil Suit 1-A/2004, Plaint (ExD-1), WS(ExD-2), so called agreement for sale (Ex-D3) filed by 'F' brother of 'C' (PW-2) and judgment dated 22.10.2009 (Ex-D4). Defendant proved all these documents by calling original record of Civil Suit 1-A/2004. Defendant stated in his evidence that in previous Suit both 'C' PW-2 and his brother 'F' threatened and tried to dispossess defendant from his agricultural land therefore he had filed a Suit for injunction against 'F', the brother of C (PW-2). Defendant also deposed that in previous Suit 'F' had produced an agreement for sale wherein 'C' PW2 was cited as a witness and also presented as a witness in support of his brother's claim. In previous Suit agreement for sale was declared as fake agreement.

Arguments Plaintiff :- On behalf of the plaintiff it has been argued that plaintiff proved his case by reliable evidence. In previous Civil Suit neither plaintiff nor his witnesses were party so that judgment of previous suit is not binding upon the plaintiff. It also contended that plaintiff produced an independent witness 'D' (PW-3) who is neither relative, nor interested with plaintiff and has no animosity relations with defendant. Therefore plaintiff's Suit should be decreed.

Arguments Defendant :- On behalf of the defendant it has been argued that there was no introduction or any kind of relation of defendant with the plaintiff. There was no need to take loan such a huge amount from the plaintiff. Without previous introduction why plaintiff had given loan to defendant without any mortgage or security? Because of previous litigation there was no occasion that 'C' PW-2 became the guarantor of the aforesaid loan. Defendant advocate has drawn attention of this court to compare admitted signature of Defendant on Ex-D1 plaint of previous Suit with disputed signature as shown on ExP-1 both are squarely different from each other. He also requested court to compare signature under Section 73 of Evidence Act.

निम्नलिखित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक विरचित कीजिये एवं साक्ष्य का विवेचन करते हुए संबंधित विधि/अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिखिये –

वादी के अभिवचन :- वादी 'अ' ने एक वाद प्रतिवादी 'ब' के विरूद्ध मूल राशि 1,60,000/- तथा ब्याज 2 रूपया प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से वसूली हेतु प्रस्तुत किया। वादी के अभिवचनानुसार दिनांक 03.01.2005 को प्रतिवादी 'ब' उसके निवास स्थान 'स' के साथ आया और निवेदन किया कि उसे घर खर्च के लिए तुरन्त ऋण की आवश्यकता है। 'अ', 'स' और 'द' तीनों पड़ोसी हैं, जो कस्बा 'ई' में निवास करते हैं, 'स' के गारन्टी पर वादी ने उक्त ऋण प्रतिवादी को दिया। प्रतिवादी ने एक प्रोमेसरी नोट 'स' और 'द' के समक्ष वादी के घर पर निष्पादित किया। लेकिन वायदे के अनुसार प्रतिवादी ने ऋण राशि कई बार मौखिक रूप से मांगने पर नहीं वापिस की। तब वादी ने कारण बताओ नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से दिनांक 30.07.07 को भेजा। जो प्रतिवादी ने प्राप्त किया था। प्रतिउत्तर में प्रतिवादी

ने यह लिखा कि न तो उसने कोई रूपया लिया और न ही कोई प्रोमेसरी नोट निष्पादित किया जैसा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है। जवाब प्राप्त करने के पश्चात वादी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी देय राशि अदा करने का इच्छुक नहीं है। तब वादी ने दीवानी वाद सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वसूलने हेतु व्यवहार न्यायालय वर्ग-2 जो कस्बा 'ई' में स्थित है, में प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी के अभिवचन :- प्रतिवादी 'ब' ने लिखित कथन दाखिल किया जिसमें उसने यह अभिवचनित किया कि न तो उसने राशि प्राप्त की और न ही प्रोमेसरी नोट निष्पादित किया जैसा कि वाद पत्र में अभिवचनित है। प्रतिवादी ने विशिष्टतः अभिवचनित किया कि तथाकथित प्रोमेसरी नोट का साक्षी 'स' ने अपने भाई 'फ' से षड़यंत्र करते हुये फर्जी प्रोमेसरी नोट अपने निकटतम रिश्तेदार वादी 'अ' से मिलकर तैयार किया। यह फर्जी कार्यवाही उपरोक्त व्यक्तियों ने गलत मंतव्य से की है। क्योंकि वर्ष 2004 में एक दीवानी वाद प्रतिवादी 'ब' ने 'फ' के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जो दिनांक 22.10.2009 को वर्तमान प्रतिवादी 'ब' के पक्ष में निराकृत हुआ इस पूर्ववर्ती सिविल वाद में 'फ' ने एक विक्रय का अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसका भाई 'स' साक्षी के रूप में उल्लिखित था। यह विक्रय का अनुबंध फर्जी दस्तावेज के रूप में पूर्ववर्ती सिविल विचारण में घोषित किया गया। इसलिए बदला लेने और प्रतिवादी को सबक सिखाने के लिए उपरोक्त सभी व्यक्तियों ने षड़यंत्र में शामिल होते हुये फर्जी प्रोमेसरी नोट निर्मित किया।

वादी की साक्ष्य :- वादी ने तीन साक्षी प्रस्तुत किये हैं, जिसमें वादी स्वयं (आ0सा0 1), साक्षी 'स' (वा0सा0 2) तथा 'द' (वा0सा0 3)। वादी ने प्रोमेसरी नोट प्रदर्श पी-1, नोटिस प्रदर्श पी-2, पोस्टल रसीद व अभिस्वीकृति प्रदर्श पी-3 व 4 प्रस्तुत की हैं। साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के दौरान यह पाया गया कि प्रदर्श पी-1, प्रोमेसरी नोट नहीं है बल्कि बॉण्ड है। इसलिए इस दस्तावेज को साक्ष्य में विचार में लेने के पूर्व परिबद्ध किया गया और विधि अनुसार कार्यवाही के पश्चात प्रदर्श पी-1 बॉण्ड के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य किया गया। उक्त तीनों साक्षी अपनी कथनों में व्यक्त करते है कि प्रतिवादी ने प्रदर्श पी-1 का दस्तावेज दिनांक 03.01.05 को वादी के निवास स्थान पर निष्पादित किया था, जिसपर वादी, प्रतिवादी व दोनों साक्षीयो ने हस्ताक्षर किये थे तथा प्रतिवादी ने 1,60,000/ रूपया नगद तथा 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज पर सहमत हआ था।

प्रतिवादी की साक्ष्य :- प्रतिवादी स्वयं अकेला साक्ष्य में प्र0सा0 1 के रूप में प्रस्तुत हुआ उसने प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्व के सिविल वाद 1अ/04 के वादपत्र प्रदर्श डी-1 लिखित कथन डी-2 तथा तथाकथित विक्रय का अनुबंध डी-3 जो साक्षी 'स' (वा0सा0 2) के भाई 'फ' द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा उस निर्णय दिनांक 22.10.2009 प्रदर्श डी-4 की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की हैं। प्रतिवादी ने उक्त समस्त दस्तावेज सिविल प्रकरण 1अ/2004 के मूल अभिलेख से साबित किये हैं। प्रतिवादी ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि पूर्ववर्ती दीवानी वाद में दोनों साक्षी 'स' (वा0सा0 2) तथा उसके भाई 'फ' ने प्रतिवादी को उसकी कृषि भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया व धमकी दी थी। इसलिए उसने स्थाई निषेधाज्ञा का वाद 'फ' जो साक्षी 'स' (आ0सा0 2) का भाई था उसके विरूद्ध प्रस्तुत किया था प्रतिवादी यह भी व्यक्त करता है कि पूर्ववर्ती वाद में जो विक्रय का अनुबंध पत्र प्रस्तुत किया था उसमें साक्षी 'स' (वा0सा0 2) भी दस्तावेज का गवाह था तथा 'स' पूर्ववर्ती प्रकरण में अपने भाई के समर्थन

में साक्षी के रूप में प्रस्तुत हुआ था। पूर्ववती वाद में उक्त विक्रय का अनुबंध पत्र फर्जी घोषित किया गया है।

तर्क वादी :- वादी की और से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी ने अपना वाद विश्वसनीय साक्ष्य के द्वारा साबित किया है। पूर्ववर्ती दीवानी प्रकरण में न तो वादी और न तो उसके साक्षी पक्षकार थे। इसलिए पूर्ववर्ती वाद का निर्णय उस पर बंधन कारक नहीं है। यह भी तर्क किया गया कि वादी ने स्वतंत्र साक्षी 'द' (वा0सा0 3) प्रस्तुत किया है, जो न तो वादी से हितबद्ध है और न तो उसका संबंधी है और इस साक्षी की प्रतिवादी से भी कोई दुश्मनी का संबंध नहीं है। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाये।

तर्क प्रतिवादी :- प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसका वादी से कोई पूर्ववर्ती परिचय और किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी को इतनी बड़ी राशि उधार लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। बिना पूर्व परिचय के वादी ने प्रतिवादी को इतना ऋण बिना बंधक व जमानत के कैसे दे दिया ? पूर्ववर्ती दीवानी वाद के वजह से ऐसा कोई औचित्य नहीं था कि वादी साक्षी 'स' (वा0सा0 2) ऋण के बावत् प्रतिवादी की गारन्टी देता। प्रतिवादी अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान प्रतिवादी के स्वीकृत हस्ताक्षर जो प्रदर्श डी-1 पूर्ववती सिविल प्रकरण के वादपत्र पर है और विवादित हस्ताक्षर जो प्रदर्श पी-1 पर बतलाये गये है, उनका तुलनात्मक निरीक्षण करने का निवेदन करते हुये, व्यक्त किया कि दोनों हस्ताक्षर सर्वथा एक-दूसरे से भिन्न है। उनका तर्क है कि धारा 73 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय हस्ताक्षरों का मिलान कर सकता है।

निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)
JUDGMENT/ORDER (CRIMINAL) WRITING (JMFC)

Q.4 **Frame the charge and write a judgment on the basis of the allegations and evidence given here under by analyzing the evidence, keeping in mind the relevant provisions on the concerning law.**

Prosecution Case : -

1. **Truck bearing registration No. MP20 AB-845 belonged to one Mohanpal (P.W. 1). On 21.1.2013 the truck developed a mechanical defect. It was, therefore, parked at village Dumna by the driver of the Truck. On the following day, a window of the truck was found open. On checking "diesel pump", "self starter" and "tools Kit" were found stolen from the truck. A First Information report Ex. P1 was, therefore, lodged to the police by PW. 1 Mohanpal on the basis of which a case for the offence under Section 379, Indian Penal Code, came to be registered. In the First Information report Mohanpal expressed suspicion against accused Kishan Das, since he was the driver of the Truck.**

2. **During the course of investigation the Kishan Das and his brother Ram Das were arrested. Whilst in custody the two accused made a disclosure statement under Section 27 of the Evidence Act before the Head Constable in the presence of PW. 2 Chet Ram and one**

Bhagat Ram leading to the recovery of "diesel pump", "self starter" and the "tools Kit" from the house of accused Kishan Das.

3. The police, after completion of investigation submitted the charge-sheet against both the accused for offence under Section 379 read with Section 34, Indian Penal Code.

Defence Plea :

4. The accused persons denied the charge. Their defence was that they have been falsely implicated.

Evidence for prosecution :

5. The prosecution in support of its case examined three witnesses in all. There was no eye-witness of the theft. Mohanpal (P.W. 1) proved the FIR Ex. P-1 lodged by him. He also proved the theft of aforesaid articles from his truck. He also deposed that accused Kishan Das was the driver of the Truck.

6. Chet Ram was examined as PW 2. He is silent with regard to the making of the disclosure statement Ex. P 2 by the two accused. Another witness to disclosure statement Ex.P-2 was Bhagat Ram but he was not examined by the prosecution. Head Constable Shyam Lal PW. 3 deposed that both the accused while in custody on 21.01.2013 made a joint disclosure statement Ex. P 2 in the presence of PW. 2 Chet Ram and Bhagat Ram. He also proved the recovery of "diesel pump", "Self starter" and "tools Kit" in pursuance of such disclosure statement.

Evidence for defence :

7. On behalf of the accused persons no witness was examined in defence.

Arguments of Prosecutor :

8. As per the prosecution both the accused while in custody on 21.1.2013 made a joint disclosure statement Ex. P 2 before Head Constable Shyam Lal (PW.3) in the presence of Chet Ram (PW.2) and one Bhagat Ram and in pursuance of the joint statement, recovery of "diesel pump", "Self starter" and "tools Kit" was made from both the accused. Therefore, on the basis of disclosure statements and recovery of the articles, offence under Section 379 of the IPC was duly proved against both the accused.

linkinglaws.com

Arguments of Defence Counsel :

9. On behalf of the accused it was contended that the joint disclosure statement said to have been made by the two accused is not admissible in evidence and no reliance can be placed upon any recoveries alleged to have been made in pursuance of such joint statement. Therefore, accused should be acquitted.

नीचे दिये गये अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विरचित करें तथा नीचे दिये गये तथ्यों, साक्ष्य व तर्कों के आधार पर विचारणीय बिन्दु बनाकर, एक सकारण निर्णय लिखिये –

अभियोजन का प्रकरण :

1. ट्रक, जिसका पंजीयन क्रमांक एम.पी.20 ए.बी.845 था, मोहन पाल (अ.सा.1) का था । दिनांक 21.01.13 को ट्रक में यांत्रिकीय त्रुटि आ गयी थी। इसलिये ट्रक को उसके चालक ने ग्राम डुमना में खड़ा कर दिया । अगले दिन ट्रक की एक खिड़की खुली पाई गई। निरीक्षण करने पर ट्रक में से डीजल पम्प, सेल्फ स्टार्टर तथा टूल्स किट की चोरी होना पाई गई । मोहन पाल (अ.सा.1) के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 पुलिस में दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर धारा 379 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में प्रकरण पंजीयत किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मोहन पाल ने अभियुक्त किशनदास पर संदेह व्यक्त किया क्योंकि वह ट्रक का चालक था ।

2. अनुसंधान के दौरान किशनदास और उसके भाई रामदास को गिरफ्तार किया गया । अभिरक्षा में रहने के दौरान दोनों अभियुक्तगण ने अ.सा.2 चेतराम तथा एक अन्य भगतराम की उपस्थिति में प्रधान आरक्षक के समक्ष धारा 27 साक्ष्य विधान के अन्तर्गत एक प्रकटन बयान दिया जिस पर से 'डीजल पम्प', 'सेल्फ स्टार्टर' और 'टूल्स किट' अभियुक्त किशनदास के मकान से बरामद किये गये।

3. पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण करने के बाद दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379 सहपठित धारा 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के सम्बन्ध में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया ।

प्रतिरक्षा अभिवाक :

4. अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार किया । उनका बचाव था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है ।

अभियोजन की साक्ष्य :-

5. अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में कुल तीन साक्षियों के कथन करवाये। चोरी का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं था। मोहनलाल (अ.सा.1) ने उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.1 प्रमाणित की । उसने यह भी प्रमाणित किया है कि उपरोक्त सामग्री की चोरी उसके ट्रक में से हुई थी । उसने यह कथन भी दिया कि अभियुक्त किशनदास ट्रक का चालक था।

6. चेतराम अ.सा.2 के रूप में परीक्षित किया गया । उसने अपने कथन में दोनों अभियुक्तगण के द्वारा दिये गये प्रकटन बयान प्र.पी.2 के बारे में कोई बात नहीं बताई । प्रकटन बयान प्र.पी.2 का अन्य साक्षी भगतराम था लेकिन उसे
अभियोजन के द्वारा परीक्षित नहीं किया गया था । प्रधान आरक्षक श्यामलाल (अ.सा.3) ने कथन दिया था कि दिनांक 21.01.2013 को दोनों अभियुक्तगण ने अभिरक्षा में अभियोजन साक्षी क्र.2 चेतराम तथा भगतराम के समक्ष प्र.पी.2 का प्रकटन बयान संयुक्त रूप से दिया था । उसने डीजल पम्प, सेल्फ स्टार्टर और टूल्स किट की बरामदगी प्रकटन बयान के अनुसरण में किया जाना भी प्रमाणित किया।

linkinglaws.com

LINKING LAWS
Link the Life with Law
LINKING LAWS
"Link The Life With Law"
RJS | DJS | MPCJ | CGCJ | UPPCSJ | BJS |
HJS | PJS | GJS | OJS | JJS | WBJS | HPJS

बचाव साक्ष्य :

7. अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा में किसी साक्षी का परीक्षण नही करवाया गया था। अभियोजक का तर्क :

8. अभियोजन के अनुसार, दोनों अभियुक्तगण जब दिनांक 21.01.2013 को अभिरक्षा में थे तब उन्होंने प्रधान आरक्षक श्यामलाल (अ.सा.3) को चेतराम (अ.सा.2) तथा एक अन्य भगतराम के समक्ष प्र.पी.2 की प्रकटन सूचना दी थी और संयुक्त सूचना के अनुसरण में डीजल पम्प, सेल्फ स्टार्टर और टूल्स किट की बरामदगी दोनों अभियुक्तगण से की गई थी। इसलिये प्रकटन बयान और वस्तुओं की बरामदगी के आधार पर दोनों अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.वि. के अंतर्गत अपराध सम्यक् रूप से प्रमाणित हुआ है।

बचाव अधिवक्ता का तर्क :

9. अभियुक्तगण की ओर से यह कहा गया है कि संयुक्त प्रकटन बयान जो कि दोनों अभियुक्तगण के द्वारा दिया जाना कहा गया है, साक्ष्य में ग्राहय नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर की गई बरामदगी पर भी भरोसा नहीं किया जाना चाहिये। इसलिये अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने चाहिये।

LINKING LAWS
Link the Life with Law
linkinglaws.com